भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 514

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला परियोजनाओं से जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का संग्रह

514. श्री विष्णु दयाल राम :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयला उत्पादन की स्थिति क्या है;

(ख) झारखंड में संचालित कोयला परियोजनाओं से जिला खनिज फाउंडेशन के तहत कितनी राशि एकत्र की गयी है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) सरकार द्वारा कोयला खनन क्षेत्रों में पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार पलामू और गढ़वा के कोयला खनन क्षेत्रों में निधि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित कोयले की मात्रा नीचे दी गई है:

[आंकड़े मिलियन टन में]

वर्ष	उत्पादन
2023-24	997.83
2024-25	1047.52
2025-26 (अनंतिम)	1040.08

(ख) : खनन पट्टाधारकों द्वारा अंशदान किसी भी राज्य अथवा केंद्रीय निधि के माध्यम से किए बिना जिला स्तर पर स्थापित संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) न्यासों को सीधे किया जाता है। मई, 2026 तक, झारखंड राज्य में कोयला एवं लिग्नाइट खनन प्रचालनों

से जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) के अंतर्गत ₹12,957.72 करोड़ की संचयी राशि संग्रहित की गई है।

डीएमएफ निधियों से व्यय की स्वीकृति विशेष रूप से संबंधित डीएमएफ की शासी परिषद के पास होती है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है और इसमें सांसदों, विधायकों एवं एमएलसी सहित निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) : कोयला खनन क्षेत्रों में पुनर्वास और स्थानीय रोजगार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i. भूमि मुआवजा लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची I के अनुसार अथवा सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 14(1) के तहत पारस्परिक रूप से सहमत करार के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। यदि, सीबीए अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) लाभ आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं और नए पुनर्वास स्थल पर प्रदान की जाने वाली सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार होती हैं।

ii. मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों में पारदर्शिता जिला क्लेक्टर या उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता वाली आर एंड आर समिति द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

iii. पात्र परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) को देय लाभों के भुगतान के पश्चात ही भूमि का कब्जा लिया जाता है।

iv. बेरोजगार युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

v. कोयला खनन क्षेत्रों में स्व-रोजगार तथा ठेकेदारों के साथ रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

vi. स्थानीय युवाओं एवं विस्थापित व्यक्तियों की रोजगार-क्षमता बढ़ाने हेतु कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

vii. स्थानीय समुदायों की आजीविका संवर्धन, उद्यमिता विकास तथा आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित सीएसआर गतिविधियां।

viii. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां सीआईएल-2012 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के प्रावधानों के अनुसार पात्र भूस्वामियों को रोजगार और अन्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन लाभ प्रदान करती हैं।

ix. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) आउटसोर्स और निजी क्षेत्र की नौकरियों में रोजगार-योग्यता बढ़ाने हेतु सेना, पुलिस एवं अन्य सरकारी भर्तियों के लिए निःशुल्क कोचिंग तथा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।

देश में कोयला/लिग्नाइट खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण/जैव-पुनर्ग्रहण, सामुदायिक उपयोग हेतु खान जल उपयोग, इको-पार्कों के विकास तथा ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने जैसी पहलें की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक खनन हेतु सफल बोलीदाता एवं नामित प्राधिकारी के बीच निष्पादित कोल ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते में यह अनिवार्य है कि सफल बोलीदाता आधुनिक एवं प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला उत्खनन, परिवहन एवं निकासी को कार्यान्वित करेगा। तदनुसार, सफल बोलीदाता अच्छी उद्योग पद्धति के अनुरूप कोयला खान में संचालनों से कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करने, पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने हेतु कदम उठाने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए कोयला खानों के संधारणीय विकास हेतु कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. सड़क परिवहन को न्यूनतम करना तथा फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित यंत्रीकृत कोयला लदान एवं परिवहन को बढ़ाना।

ii. सर्फेस माइनर्स, एक्स-केंद्रित रिपर्स के माध्यम से विस्फोट मुक्त खनन प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

iii. फिक्स्ड स्प्रिंकलर, मिस्ट स्प्रिंकलर, मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर, फॉग कैनन, रोबोटिक नोजल वाटर स्प्रेयर, मैकेनिकल रोड स्वीपर, व्हील वॉशिंग सिस्टम, विंड बैरियर आदि के उपयोग द्वारा धूल प्रदूषण को कम करना।

iv. धूल नियंत्रण, कार्बन पृथक्करण तथा क्षरित भूमि की पुनर्स्थापना हेतु खनन क्षेत्रों में और आसपास व्यापक वृक्षारोपण।

v. उचित स्थिरीकरण के पश्चात उत्खनित क्षेत्रों में इको-पार्कों का विकास।

vi. पारिस्थितिकी के और संवर्धन हेतु आधारभूत परिस्थितियाँ और कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा नियमित पारिस्थितिकीय मूल्यांकन/अध्ययन।

vii. पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरीकरण एवं पुनर्स्थापन हेतु अस्थायी डंपों पर घास लगाना, बांस रोपण जैसी हरियाली गतिविधियां।

viii. धूल उत्पादन को कम करने हेतु कोयला परिवहन सड़कों की ब्लैक-टॉपिंग अथवा पेविंग, जिसमें उनका आवधिक रखरखाव करना भी शामिल है।

ix. भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देना।

x. खानों को वैज्ञानिक विधि से बंद करना।

(घ) : डीएमएफ निधियों के पारदर्शी एवं जवाबदेह उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) दिशानिर्देश, 2024 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा डीएमएफ की लेखा परीक्षा कैग द्वारा तय समय-सारणी के अनुसार की जाएगी।
